

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.रा.न्या.से.) अवकाश / 2140 /2022

दिनांक 04.07.2022

श्रीमती रेखा शर्मा (RJ0299), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, जयपुर महानगर-II को दिनांक 03.06.2022 से 12.06.2022 तक 10 दिनों का उपार्जित अवकाश (ग्रीष्मावकाश की निरन्तरता में) दिनांक 02.06.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, जयपुर महानगर-II / विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-03, जयपुर महानगर-II ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, जयपुर महानगर-II के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

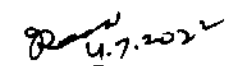
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 02-07-2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/02/2000/4770

दिनांक :04.07.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 10 दिनांक 23.06.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती रेखा शर्मा (RJ0299), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, जयपुर महानगर-II
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, जयपुर महानगर-II
5. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-03, जयपुर महानगर-II


सहायक रजिस्ट्रार